बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

योजना एवं विकास विभाग
... प्राप्ति शाखा
पत्र सं० 6899
दिनांक 20-6-25

का०आ०सं०–अ०सां०नि०/स्था०17–08/2024 99 /पटना, दिनांकः– 19/06/25

**कार्यालय आदेश**

श्री जितेन्द्र सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, सरायरंजन (अतिरिक्त प्रभार मोरवा), समस्तीपुर सम्प्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, देव प्रखंड, औरंगाबाद के विरूद्ध जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक–660/जि०सां० दिनांक–02.07.2024 एवं पत्रांक–939/जि०सां० दिनांक–06.09.2024 तथा जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक–1127/जि०सां० दिनांक–28.10.2024 द्वारा आरोप पत्र अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के द्वितीय भाग, अवाचार या कदाचार के लांछनों का सार एवं तृतीय भाग अवाचार के लांछनों का अभिकथन में श्री सिंह द्वारा 90 दिन पूर्व के बिना हस्ताक्षर जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र रखना, पदाधिकारी से झूठ बोलना एवं गुमराह करना, अक्सर जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र देने में विलम्ब करना तथा दिनांक–15.06.2024 को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(4) में किये गये प्रावधान के तहत निदेशालय के पत्रांक–1973 दिनांक–16.12.2024 द्वारा श्री सिंह से अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री सिंह द्वारा दिनांक–30.12.2024 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा करने के उपरांत यह प्रतीत होता है कि श्री सिंह पर आर्थिक नुकसान, भ्रष्टाचार अथवा सरकारी राशि के गबन का कोई आरोप नहीं है लेकिन इनके द्वारा अपने कार्य में लापरवाही बरती गई है।

अतएव श्री जितेन्द्र सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, सरायरंजन (अतिरिक्त प्रभार मोरवा), समस्तीपुर सम्प्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, देव प्रखंड, औरंगाबाद के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक–8237 दिनांक–06.07.2017 तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(1) के तहत **निंदन (आरोप वर्ष 2024–25)** का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(रणजीत कुमार)
निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सां०नि०/स्था०17–08/2024 1034 /पटना, दिनांकः– 19/06/25

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को उनके पत्रांक–1127 दिनांक–28.10.2024 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप निदेशक (सांख्यिकी), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, समस्तीपुर/औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. श्री जितेन्द्र सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, सरायरंजन (अतिरिक्त प्रभार, मोरवा), समस्तीपुर सम्प्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, देव प्रखंड, औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक